



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)



☎ 0141-2227052

✉ pdsap-rd-rj@omail.gov.in

Website: rdprd.gov.in

क्रमांक प. 14(40)गावि./गुप 6/एमएलए/गाईबलाइन/2018

जयपुर, दिनांक

परिपत्र

10207-10497

16 AUG 2021

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत दिनांक 19.11.2018 से लागू प्रावधान को विभागीय परिपत्र दिनांक 10.5.2021 से प्रतिस्थापित किया गया था, को अतिक्रमित करते हुये निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

2.1 वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु योजनान्तर्गत प्रति मान, विधायक राशि रु 225.25 लाख से बढ़ाकर 500.00 लाख रु का आवंटन निर्धारित किया जाता है। कोविड-19 की परिस्थिति के मद्देनजर इस राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्न प्रयोजनार्थ राशि व्यय की जा सकेगी।

अ) राशि रु 25 लाख वर्ष 2021-22 में कर्पूरु/लॉकडाउन/जन अनुशासन पखवाडा के कारण Vulnerable तबका यथा गरीब, निराश्रित, असहाय एवं दिहाडी मजदूरी इत्यादि जैसे लोगों की आय कम होने/नहीं होने के फलस्वरूप ऐसे लोगों की सामाजिक एवं खाद्य सुरक्षा के लिए खाद्य सामग्री एवं अन्य जीवन यापन के लिए व्यय करना। यह राशि राज्य स्तर से सीएम रिलीफ फण्ड के अन्तर्गत कोविड Mitigation Fund में जमा की जावेगी। इसमें से अप्रयुक्त राशि का उपयोग प्रचलित निर्देशों के अनुसार संबंधित विधायक की अनुशंषा के अनुसार अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा।

ब) कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर Medical infrastructure के सुदृढीकरण हेतु न्यूनतम राशि 175.00 लाख रु विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत Medical infrastructure एवं आदर्श Community Health Centre (CHC) की स्थापना हेतु विधायक की अनुशंषा अनुसार उपयोग में ली जा सकेगी।

स) शेष राशि रु 300.00 लाख वर्तमान में प्रचलित निर्देशों के अनुसार अन्य विकास कार्यों में विधायक की अनुशंषानुसार उपयोग में ली जा सकेगी।

यह सक्रम स्तर से अनुमोदित है।

(के.के. पाठक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा जयपुर।
3. समस्त माननीय विधायकगण, राजस्थान जयपुर।
4. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, आयोजना, जनजातीय क्षेत्रीय विकास, जल संसाधन, वन, आपदा प्रबंधन एवं त्हायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
8. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र की एक प्रति अपने जिले से संबंधित माननीय विधायकगण को उपलब्ध करावें।
10. प्रोग्रामर ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट info-rdprd@nic.in पर अपलोड करने हेतु।
11. जनसम्पर्क अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

3 16/8/2021

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एमएपी)